संख्या-41/2020/2153/77-3-2020-51(एम)/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गीडा के पत्र संख्या-2033/गीडा/भू0अ0-2/गो0लिंक एक्सप्रेस-वे (गीडा)/2020-21 दिनांक 05.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्;ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 11-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु-60-भूमि क्रय'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 करोड़ में रू0 50.00 करोड़ (रू0 पचास करोड़ मात्र) भूमि क्रय हेतु निर्गत कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) धनराशि आहरित करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिजाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) गीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनाक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 11-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु-60-भूमि क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-743/ दस-2020 दिनांक 27.10.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनुसचिव

संख्या-41/2020/2153(1)/77-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।